

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2020—फाल्गुन 23, शक 1941

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रिकु सिंह आत्मज श्री नंदकुमार सिंह, उम्र 35 वर्ष, जाति ठाकुर, निवासी-ग्राम-पथरगढ़ी, थाना व तहसील पथरिया, जिला मुंगेली (छ. ग.) का हूँ. यह कि मुझे शान्ता कुमार (क्षत्री) के नाम से भी जाना पहचाना जाता है. जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम रिकु सिंह रख लिया हूँ. मैं मेरे नये नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब मुझे रिकु सिंह आत्मज श्री नंदकुमार सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

#### पुराना नाम

शान्ता कुमार (क्षत्री)  
पिता-श्री नंदकुमार सिंह  
निवासी-ग्राम-पथरगढ़ी,  
थाना व तहसील-पथरिया,  
जिला-मुंगेली (छ. ग.)

#### नया नाम

रिकु सिंह  
पिता-श्री नंदकुमार सिंह  
निवासी-ग्राम-पथरगढ़ी,  
थाना व तहसील-पथरिया,  
जिला-मुंगेली (छ. ग.)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, स्वामी देवभावानन्द आत्मज गुरुपिता श्री स्वामी रंगनाथानन्द उम्र 51 वर्ष, निवासी-रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द आश्रम, जी. ई. रोड, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम किशोर त्र्यंबक चौधरी आ. श्री त्र्यंबक हरी चौधरी था जो कि मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों में दर्ज है। दिनांक 20-02-2007 को मैंने धर्मानुसार रामकृष्ण मठ में सन्यास ग्रहण किया। पश्चात् मेरा नाम परिवर्तित कर स्वामी देवभावानन्द गुरुपिता स्वामी रंगनाथानन्द रखा गया तथा मैं इसी नाम से जाना पहचाना जाने लगा। इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे स्वामी देवभावानन्द आ. गुरुपिता श्री स्वामी रंगनाथानन्द के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

#### पुराना नाम

किशोर त्र्यंबक चौधरी  
पिता-श्री त्र्यंबक हरी चौधरी  
निवासी-ग्राम एवं पोस्ट-खिरोदा,  
तहसील-रावेर,  
जिला-जलगाँव (महाराष्ट्र)  
पिन-425504

#### नया नाम

स्वामी देवभावानन्द  
पिता-गुरुपिता श्री स्वामी रंगनाथानन्द  
निवासी-रामकृष्ण मिशन,  
विवेकानन्द आश्रम, जी. ई. रोड,  
रायपुर  
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)  
पिन--492001

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती दुसी भारती शेखर ध. प. श्री दुसी चन्द्रशेखर, उम्र 53 वर्ष, निवासी-प्लॉट नंबर-58, सड़क नं.-15, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व कुछ अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम भारती शेखर दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा पूर्ण नाम दुसी भारती शेखर है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, मेरे पूर्ण नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती दुसी भारती शेखर (Smt. Dusi Bharathi Shekhar) ध. प. श्री दुसी चन्द्रशेखर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

#### पुराना नाम

भारती शेखर  
(Bharathi Shekhar)  
पति-श्री दुसी चन्द्रशेखर  
निवासी-प्लॉट नंबर-58,  
सड़क नं.-15, प्रगति नगर,  
रिसाली, भिलाई,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

#### नया नाम

श्रीमती दुसी भारती शेखर  
(Smt. Dusi Bharathi Shekhar)  
पति-श्री दुसी चन्द्रशेखर  
निवासी-प्लॉट नंबर-58,  
सड़क नं.-15, प्रगति नगर,  
रिसाली, भिलाई,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पुष्पा अहीर ध. प. श्री परस राम अहीर, उम्र 56 वर्ष, निवासी-क्वार्टर नंबर-15/ए, के-पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई, पोस्ट आफिस-सिविक सेंटर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है, उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती पुष्पा यादव दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है। मेरा वास्तविक नाम श्रीमती पुष्पा अहीर है जो कि मेरे अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मैं मेरे नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती पुष्पा अहीर ध. प. श्री परस राम अहीर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

### पुराना नाम

श्रीमती पुष्पा यादव  
पति- श्री परस राम अहीर  
निवासी-क्वार्टर नंबर-15/ए,  
के-पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई,  
पोस्ट आफिस-सिविक सेंटर भिलाई,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

### नया नाम

श्रीमती पुष्पा अहीर  
पति- श्री परस राम अहीर  
निवासी-क्वार्टर नंबर-15/ए,  
के-पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई,  
पोस्ट आफिस-सिविक सेंटर भिलाई,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अनुसुईया सेरूवा, ध. प. श्री कृष्ण कुमार सेरूवा, उम्र 53 वर्ष, निवासी- म. नं.-1, देशमुख कालोनी, भेलवा तालाब के पास, कोहका, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है, उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम अनुसुईया दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “सेरूवा” जोड़कर नया नाम श्रीमती अनुसुईया सेरूवा रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती अनुसुईया सेरूवा ध. प. श्री कृष्ण कुमार सेरूवा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

### पुराना नाम

श्रीमती अनुसुईया  
पति- श्री कृष्ण कुमार सेरूवा  
निवासी-म. नं.-1, देशमुख कालोनी,  
भेलवा तालाब के पास,  
कोहका, भिलाई,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

### नया नाम

श्रीमती अनुसुईया सेरूवा  
पति- श्री कृष्ण कुमार सेरूवा  
निवासी-म. नं.-1, देशमुख कालोनी,  
भेलवा तालाब के पास,  
कोहका, भिलाई,  
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

### उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजय कुमार देवांगन आत्मज श्री लखन लाल देवांगन उम्र 49 वर्ष, निवासी-पटेल भवन गली, वार्ड नं.-05, गया नगर, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम अजय कुमार आ. लखन लाल देवांगन दर्ज है। जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “देवांगन” जोड़कर पूर्ण नाम/उपनाम अजय कुमार देवांगन रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे अजय कुमार देवांगन आ. श्री लखन लाल देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

| पुराना नाम                                                                                                                     | नया नाम                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अजय कुमार<br>पिता-श्री लखन लाल देवांगन<br>निवासी-पटेल भवन गली,<br>वार्ड नं.-05,<br>गया नगर, दुर्ग,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | अजय कुमार देवांगन<br>पिता-श्री लखन लाल देवांगन<br>निवासी-पटेल भवन गली,<br>वार्ड नं.-05,<br>गया नगर, दुर्ग,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

### उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डामन लाल वर्मा आत्मज श्री अधार वर्मा, जाति कुर्मी, निवासी-ग्राम व पो. टेडेसरा, वार्ड नं.-9, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम डामन लाल वर्मा आ. श्री अधार वर्मा तथा जन्म तिथि 23-12-1964 है। किन्तु मेरी ग्यारहवीं की अंकसूची में मेरा नाम डामन लाल आ. श्री अधार, पेन कार्ड में डामन वर्मा आ. श्री धूसू वर्मा दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा वास्तविक नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे डामन लाल वर्मा आ. श्री अधार वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

| पुराना नाम                                                                                                                                | नया नाम                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| डामन लाल,<br>डामन वर्मा<br>पिता-धूसू वर्मा,<br>श्री अधार<br>निवासी-ग्राम व पो.-टेडेसरा,<br>वार्ड नं.-9,<br>तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) | डामन लाल वर्मा<br>पिता-श्री अधार वर्मा<br>निवासी-ग्राम व पो.- टेडेसरा,<br>वार्ड नं.-9,<br>तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) |

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 12 फरवरी 2020

प्रारूप

[ देखे नियम 5(1) ]

[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30 और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा लोक न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष) ]

क्रमांक/381/प्र. 2/अ. वि. अ./2019.—यतः कि आवेदक श्री ओंकारनाथ तिवारी आ. श्री शिवप्रसाद तिवारी उम्र 52 वर्ष सेटलर, निवासी प्लॉट नं. 86/31 वार्ड नं. 02 मोतीलाल नेहरू नगर ईस्ट भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) द्वारा श्री शिव बैकुण्ठदेवी स्मृति फाउण्डेशन ट्रस्ट पता प्लॉट नं. 86/31 वार्ड नं. 02 मोतीलाल नेहरू नगर ईस्ट भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु दिया गया है, एतद्वारा सूचनापत्र जारी कर अपेक्षा की जाती है कि कथित आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में सुनवाई दिनांक 10-03-2020 को विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्ति कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से या किसी प्राधिकार पत्र के माध्यम से अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के बाद किसी भी प्रकार के आपत्ति-दावा पर कोई विचार संभव नहीं हो सकेगा.

#### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- |    |                        |    |                                                                                                                                             |
|----|------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | लोक न्यास का नाम व पता | :- | श्री शिव बैकुण्ठदेवी स्मृति फाउण्डेशन ट्रस्ट<br>पता प्लॉट नं. 86/31 वार्ड नं. 02 मोतीलाल नेहरू नगर ईस्ट भिलाई<br>तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) |
| 2. | चल संपत्ति             | :- | निरंक                                                                                                                                       |
| 3. | अचल संपत्ति            | :- | निरंक                                                                                                                                       |

**खेमलाल वर्मा,**  
पंजीयक एवं  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

## विविध

### अन्य सूचनाएं

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर  
प्रथम तल, डॉ. बालमुकुंद शर्मा क्लीनिक, नगर निगम आयुर्वेदिक हास्पिटल के पास, कंकालीपारा, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2020

क्रमांक/सीजीएमसी/निर्वाचन/2020/39.—छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1987 की धारा 4(1)(क) के तहत छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल के गठन हेतु पांच (5) सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 23-01-2020 को सम्पन्न होने पर अन्तिम मतगणना के आधार पर मैं डॉ. सुरेन्द्र पामभोई, निर्वाचन अधिकारी नीचे लिखे गये 05 (पांच) सदस्यों को निर्वाचन में उनको प्राप्त कुल मतों की संख्या के वरियता क्रम के आधार पर निर्वाचित घोषित करता हूँ.

| क्रमांक | निर्वाचित प्रत्याशी   | प्राप्त कुल मतों की संख्या |
|---------|-----------------------|----------------------------|
| 1.      | डॉ. राकेश गुप्ता      | 1295                       |
| 2.      | डॉ. ललित शाह          | 1209                       |
| 3.      | डॉ. महेश कुमार सिन्हा | 1122                       |
| 4.      | डॉ. आशा जैन           | 1090                       |
| 5.      | डॉ. यशवंत चन्द्रवंशी  | 784                        |

डॉ. सुरेन्द्र पामभोई,  
निर्वाचन अधिकारी.

### कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2019/726.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/336 दुर्ग, दिनांक 26-03-2018 के द्वारा श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को आर. एम. पी. द्वितीय सहकारी जलपान गृह मर्या. बी. एस. पी. पंजीयन क्रमांक 2311 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक दिनांक 30-04-2019 को सेवानिवृत्त होने जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्टित शक्तियाँ जो कि, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-23/15-02/2015/03, दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री के. के. मार्जिवे सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को आर. एम. पी. द्वितीय सहकारी जलपान गृह मर्या. बी. एस. पी. पंजीयन क्रमांक 2311 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

उमेश तिवारी,  
उप पंजीयक.